न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11/2019 (उदयपुर आर्डर)

भमरू पिता लालू जी जणवा, निवासी सालेड़ा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
.... अपीलान्ट

बनाम

1. नारायणलाल पिता लालू जी जणवा, निवासी सालेड़ा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
का.अधि.1955 विरूद्ध निर्णय सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर दि॰
17.07.2019 प्रकरण संख्या 05/2019

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजयकुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 03–08–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालेडा में आराजी नंबर 283, 339, 342, 352, 353, 958, 965, 968, 970, 1271, 1753 कुल किता 11 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी का 1/2, 1/2 हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु उक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को आये दिन धमकी देने हैं कि वह अपनी इच्छानुसार स्थान पर काश्त करेगा एवं बाउण्ड्रीवाल बनाकर निर्माण करवायेगा। विपक्षी संख्या 1 आराजी नंबर 965 सम्पूर्ण भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा करना चाहता है, जबकि उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का भी होकर वह काबिज है। अतः ताफैसला वाद विपक्षी संख्या 1 को इस आयश की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजियात में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं करें तथा किसी अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थी को जबरन भूमि से बेदखल नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–07–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–08–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय में इसी आराजीयात बाबत् रेस्पोन्डेन्ट का वाद संख्या 175/2007 खारिज हो चुका है। उक्त तथ्य को छिपाते हुए यह नया वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आराजी नंबर 965 का जो हिस्सा अपीलान्ट को उसके पिता द्वारा दिया गया था, वह रोड़ के पास आ जाने से रेस्पोन्डेन्ट के मन में बदनियती आ गयी इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार विवादित आराजियात में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का समान हिस्सा अंकित होकर दोनों 1/2, 1/2 हिस्से के सहखातेदार हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट का विभाजन का वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी पाबन्द किया गया है, जो विधि सम्मत है। विवादित आराजियात में किस पक्षकार के हक में कौन सा हिस्सा रहेगा यह मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–07–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested